

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आप0 प्रकरण क्रमांक 113/12

संस्थित दिनांक 27.02.2012

फाई. नं.-234503000272017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, रूपझर

जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन।

विरुद्ध

1.भोजराज पंचतिलक पिता बद्धूलाल उम्र 37 साल,

साकिन भण्डेरी थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)।

2.बरातुलाल पिता सकरूलाल उम्र 39 साल, साकिन बासिनखार

थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पूर्व से निर्णित)

.....अभियुक्तगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 22.03.2018 को घोषित

01- अभियुक्त भोजराज के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 01.12.11 को समय 06:00 बजे शाम स्थान ग्राम किनारदा मानसिंह गोंड के खेत के पास थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत बिरनसिंह को ठोस मारकर स्वेच्छया एवं घोर उपहति कारित किया तथा उक्त बाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी बिरनसिंह की अस्पताली मेमो एवं तहरीर जांच पर पाया गया कि घटना दिनांक को स्पलेण्डर प्लस मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 के चालक द्वारा तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी की मोटर सायकिल को

ठोस मारकर चोट पहुँचाया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन तथा आहत का मुलाहिजा, वाहन परीक्षण, जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। प्रकरण में आरोपी द्वारा बिना लायसेंस तथा बीमा के वाहन चलाने तथा वाहन मालिक बरातुलाल द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल को बगैर लायसेंसधारी आरोपी भोजराज को चलाने देने से प्रकरण में धारा-5/180, 3/181, 146/196 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा किया गया है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 09/12 दिनांक 29.01.12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त भोजराज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत बिरनसिंह ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी भोजराज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। आरोपी भोजराज के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196, 3/181 शमनीय न होने से विचारण किया गया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

04—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01. क्या अभियुक्त भोजराज ने दिनांक 01.12.11 को समय 06:00 बजे शाम स्थान ग्राम किनारदा मानसिंह गोंड के खेत के पास थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस

क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

02. क्या अभियुक्त भोजराज ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाया ?

सकारण व निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01:-

05- साक्षी वीरन अ.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी भोजराज को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार साल पुरानी किनारदा की है। वह अपनी मोटर सायकिल से अपनी साईड से ग्राम किनारदा वापस आ रहा था। आरोपी भोजराज ने अपनी मोटर सायकिल से उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गया तथा गिरने से उसे टुड्डी पर चोट आयी थी। आरोपी गाड़ी को तेज चला रहा था। उसका ईलाज बालाघाट अस्पताल में हुआ था तथा उसके बाद में नागपुर ईलाज के लिये ले गये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06- साक्षी वीरन अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपनी मोटर सायकिल चला रहा था। उसने लगभग देढ़-दो साल पहले ही मोटर सायकिल ली थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके पास मोटर सायकिल चलाने का लायसेंस नहीं है, आरोपी और उसकी मोटर सायकिल आमने-सामने से टकरा गई थी, वह रांग साईड में मोटर सायकिल चला रहा था, उसके खिलाफ भी पुलिस ने उक्त घटना पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

07- साक्षी वीरन अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह मोटर सायकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया और भोजराज की मोटर सायकिल को टक्कर

मार दिया, जिससे वह तथा आरोपी अपनी मोटर सायकिल सहित गिर गये थे, उसने तेजी एवं लापरवाही से मोटर सायकिल चलाकर दुर्घटना कारित की थी, आरोपी द्वारा उक्त दुर्घटना को बहुत बचाने की कोशिश की गई, परन्तु वह गाड़ी सहित उसके उपर चढ़ गया, उक्त घटना आरोपी की गलती से नहीं घटी थी तथा उक्त घटना उसकी गलती के कारण घटित हुई थी।

08— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी भोजराज तथा आहत बिरनसिंह को जानता है। घटना उसके साक्ष्य लिये जाने की तिथि से एक वर्ष पूर्व शाम 5:30—6:00 बजे के बीच ग्राम किनारदा की है। वह चौक पर खड़े होकर फोन से बात कर रहे थे। उक्त समय भोजराज अपनी गाड़ी में तथा एक अन्य व्यक्ति भी गाड़ी से पटेल टोला से मसनाटोला जा रहे थे। उन्होंने उनसे पोटाबाई का मकान कहाँ पर है पूछने पर उन्होंने बताया था कि जंगलीटोला में रहते हैं। उस समय वहाँ से निकल कर गाड़ी को तेज रफ्तार से लेकर भोजराज वगैरह लेकर जा रहे थे। वहीं पर उन्हें भड़ाम करके खूब जोर से आवाज आई जो गाड़ी की भड़ाम की आवाज थी।

09— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 के अनुसार खेत वालों ने चिल्लाया कि गाड़ी वाले गिर गये हैं फिर वह दौड़कर गये तो देखे कि भोजराज अपने साईड पर गिरा था एवं उसके साथ में जो एक था वह भी गिरा था। दूसरी गाड़ी वाले जो पीछे थे वह खड़े थे। बिरनसिंह अपने साईड पर गिरा पड़ा था। बिरनसिंह को होश नहीं था एवं भोजराज और उसके साथी डोंगरे को हल्का फुल्का होश था। भोजराज को चोट लगी थी, किन्तु वह चल-फिर सकता था। बिरनसिंह को ज्यादा चोट लगी थी उसका पूरा चेहरा फ्रैक्चर हो गया था। भोजराज जो एक गाड़ी में बैहर वाले थे उनके साथ गाड़ी में बैठकर फरार हो गया और डोंगरे वहीं मौके पर पड़ा रहा। फिर उनने बिरनसिंह और डोंगरे को उठाकर चौक वाले मकान पर लेकर आये फिर न लोगों ने उनको पानी वगैरह पिलाये।

10— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 के अनुसार बिरनसिंह को उसके परिवार वाले मिल गये थे, किन्तु डोंगरे के परिवार वाले नहीं थे, इसलिए वह लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाये। बिरनसिंह ने ठोस मारा है, इसलिए वह पैसा देगा। साक्षी के अनुसार बिरनसिंह स्वयं बेहोश पड़ा था, उसके चेहरे में चोट थी। उसने पुलिस को बयान दिया था।

11— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि बिरनसिंह के परिवार के आने के बाद वह वापस अपने घर चला गया था। साक्षी के अनुसार बिरनसिंह के साथ वह बालाघाट गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि भोजराज तेज गति से गाड़ी चला रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि मोटर साइकिल चलाकर बिरनसिंह को ठोस मारा था।

12— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जहाँ वह लोग खड़े थे, वहाँ देढ़ फर्लांग की दूरी पर दुर्घटना हुई थी, मोटर साइकिल बिरनसिंह चला रहा था, घटना के कुछ दिन पहले ही बिरनसिंह ने मोटर साइकिल लिया है, उसने इसके पहले कोई गाड़ी नहीं चलाया है, यदि कोई नया व्यक्ति कोई गाड़ी चलाता है तो वह हड़बड़ाकर चलाता है, बिरनसिंह नया ड्राइवर होने के कारण ठीक से वाहन नहीं चला पाता है, दुर्घटना किसी गलती से घटी वह नहीं बता सकता, उसने घटना होते हुए नहीं देखी, गाड़ियों की आवाज एवं कन्धैया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन लोगों ने जाकर देखा था।

13— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उक्त घटना बिरनसिंह और भोजराज के गाड़ी टकराने से हुई थी। भोजराज को भी चोट आई थी। उसके साथ बैठे डोंगरे को बहुत चोट आयी थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो नया ड्राइवर होता है तो वह वाहन आने से घबरा जाता है। वह यह नहीं बता सकता कि बिरनसिंह के हड़बड़ाने से

उक्त घटना घटित हुई थी की नहीं एवं यह भी नहीं बता सकता कि उक्त घटना किसकी गलती से हुई थी।

14— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि भोजराज वगैरह उनके पास रुके थे और उसके बाद गये थे, जब आदमी थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद पूछताछ कर जाता है धीरे जाता है। साक्षी के अनुसार वह लोग तेज गति से थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बिरनसिंह तेज गति से वाहन चलाकर आया हो तो वह नहीं देख पाया था। वह यह नहीं बता सकता कि बिरनसिंह एकदम भोजराज की गाड़ी के सामने आ गया था, जिस कारण उक्त घटना घटित हुई थी।

15— साक्षी आशीष दुफारे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बिरनसिंह भी किनारदा का रहने वाला है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह बिरनसिंह के गांव का होने से वह उसके पक्ष में और भोजराज के विरुद्ध कथन कर रहा है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त घटना पर बिरनसिंह के विरुद्ध और भोजराज के विरुद्ध भी केस बना है, बिरनसिंह के पास ड्राइविंग लायसेंस नहीं है, जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय बिरनसिंह ढंग से मोटर साइकिल नहीं चला पा रहा था तथा अब भी मोटर साइकिल बिरनसिंह ढंग से नहीं चला पाता।

16— साक्षी सुखदेव अ.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी भोजराज को नहीं जानता है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को पुलिस ने उसके पिता के एक्सीडेंट के संबंध में उससे पूछताछ की थी और उसने उन्हें घटना के बारे में बताया था, उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने अपनी मोटर साइकिल को तेजी एवं लापरवाही चलाकर उसके पिताजी की मोटर

सायकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोट आई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह घटना के दो-तीन माह पूर्व ही नागपुर मजदूरी करने चला गया था तथा घटना के दो साल के बाद आया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

17— साक्षी महेश कोडापे अ.सा.06 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब दो साल पूर्व ग्राम किनारदा में शाम के समय की है। उसने देखा कि वीरनसिंह अपनी मोटरसाईकिल से मसनाटोला से ग्राम किनारदा आ रहा था और भोजराज मोटरसाईकिल से किनारदा से शिकारी टोला जा रहा था उसके पीछे एक आदमी बैठा था। तभी उसके खेत के पास भोजराज ने वीरनसिंह की मोटरसाईकिल को सामने से टक्कर मार दिया था। जिससे वीरसिंह गिर गया था और बेहोश हो गया था। उसने दौड़कर पानी लाया और वीरनसिंह को पिलाया। उसने भोजराज को अपनी मोटरसाईकिल को किस रफ्तार से चलाकर ला रहा था नहीं देखा था आवाज आने पर देखा था। घटना में आरोपी भोजराज की गलती से हुई थी क्योंकि उसने गलत दिशा में जाकर लापरवाही से वाहन को चलाकर वीरनसिंह को टक्कर मारा था। वह भोजराज की मोटरसाईकिल का नम्बर नहीं बता सकता उसे याद नहीं है। उसने पुलिस को कोई नम्बर नहीं बताया था।

18— साक्षी महेश कोडापे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को घटनास्थल पर नहीं था, वह घटना की आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया था, घटना की आवाज सुनने के पूर्व कौन मोटरसाईकिल चालक किस गति से वाहन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है, आहत वीरनसिंह घटना दिनांक को ग्राम पंचायत उपसरपंच था, आहत वीरनसिंह को घटना दिनांक के पूर्व पहली बार नई मोटरसाईकिल लिया था, कौन मोटरसाईकिल किस साईड में चला रहा था उसने नहीं देखा था, घटना में आरोपी भोजराज को भी चोट आयी थी

किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आहत वीरनसिंह के लापरवाही से वाहन चलाने से घटना कारित हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना के संबंध में पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था आज पहली बार न्यायालय में कथन कर रहा है।

19— साक्षी कन्हैया अ.सा.07 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण एवं आहत को जानता है। घटना पिछले साल पूर्व ग्राम किनारदा में शाम के पांच बजे उसके खेत के पास की है। वह अपना काम कर रहा था आवाज सुनकर वह दौड़कर वहाँ जाकर देखा था मोटरसाईकिल से वीरनसिंह गिरा पड़ा था। वीरनसिंह बेहोश हो गया था। उसने देखा कि घटना के समय आरोपीगण अपनी मोटर सायकिल से वहीं पर थे आरोपी भोजराज खड़ा, उसके साथ वाले व्यक्ति को चोट लगी थी। उसने भोजराज की गाड़ी का नम्बर नहीं देख पाया था। घटना आरोपी भोजराज की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने गलत दिशा में जाकर लापरवाही से वाहन को चलाकर वीरनसिंह को टक्कर मारा था।

20— साक्षी कन्हैया अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना के पूर्व अपने खेत पर था और आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया था, घटना कारित होने के पूर्व अपने खेत पर था कौन वाहन किस गति से चला रहा था उसे देखने का अवसर नहीं आया है, वह यह नहीं बता सकता कि घटना किस की गलती से कारित हुई है क्योंकि वह मौके पर नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता, आहत वीरनसिंह घटना दिनांक को ग्राम पंचायत का उप सरपंच था, घटना के पूर्व आहत वीरनसिंह के द्वारा नई गाड़ी खरीदी गयी थी और उसे चलाता था, उसी समय वीरनसिंह वाहन चलाना सीख रहा था, उसने घटना के संबंध में पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था आज पहली बार न्यायालय में कथन कर रहा है।

21— साक्षी कन्हैया अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उक्त घटना किसकी गलती से हुई है। साक्षी के

अनुसार वीरनसिंह को अपनी साईड में देखा था। वीरनसिंह घटना दिनांक को पटेलटोला से मसनाटोला तरफ आ रहा था और भोजराज पटेलटोला से मसनाटोला तरफ जा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व वह अपने खेत पर था कौन व्यक्ति किस साईड से वाहन चला रहा था वह देखने का उसे अवसर नहीं आया।

22— साक्षी मानसिंह अ.सा.08 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण एवं आहत को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार साल पूर्व ग्राम किनारदा में शाम के पांच बजे की है। वीरनसिंह मसनाटोला तरफ से आ रहा था और भोजराज पटेल टोला से मसनाटोला तरफ जा रहा था। वीरनसिंह अपने साईड में था, तभी भोजराज ने तेज रफ्तार से अपने वाहन मोटर साईकिल को चलाकर लाया और सामने से ठोस मार दिया, जिससे वीरनसिंह गिर गया था और उसे चोट आयी थी। घटना आरोपी भोजराज की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने गलत दिशा में जाकर लापरवाही से वाहन को चलाकर वीरनसिंह को टक्कर मारा था। घटना में वीरनसिंह को मुँह, सिर, हाथ, पैर पर चोट आयी थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। उसे भोजराज की गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम है। उसने पुलिस को नम्बर नहीं बताया था। उसने घटना होते हुए देखा था, क्योंकि घटना उसके खेत के सामने की है।

23— साक्षी मानसिंह अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को अपने खेत में धान के बोझा बांधने का काम कर रहा था, जब कोई व्यक्ति अपने काम में व्यस्त होता है तो उसका ध्यान अपने काम पर होता है दूसरी ओर नहीं होता है, वह आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने वाहन चलते हुए नहीं देखा है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत वीरनसिंह घटना के समय वाहन चलाना सीख रहा था, कितनी गति को तेज कहते हैं और कितनी गति को धीमी कहते हैं वह नहीं बता

सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं ली थी।

24— साक्षी मानसिंह अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.डी.01 में आरोपी की मोटर साईकिल का नम्बर नहीं बताया था यदि नम्बर लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता, वह आज भी मोटर साईकिल का नम्बर नहीं बता सकता, वीरनसिंह उसके गांव का रहने वाला है और उप सरपंच था और वीरनसिंह उसका भाई है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वीरनसिंह उसका सगा भाई है, इसलिए वीरनसिंह के पक्ष में आरोपी को फंसाने के लिए झूठे कथन कर रहा है।

25— साक्षी रमेन्द्रसिंह अ.सा.09 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसके द्वारा थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 149/11 में जप्तशुदा वाहन स्पलेण्डर प्लस क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने वाहन के ब्रेक, इंजन, गियर,क्लच, हेडलाईड, साईड इंडीकेटर, हार्न तथा हैंडल ठीक अवस्था में पाये थे। वाहन में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी तथा वाहन चालू हालत में था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

26— साक्षी रमेन्द्रसिंह अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने वाहन परीक्षण के संबंध में कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं की है, उसे वाहन परीक्षण हेतु कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है, उसने पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर अपनी परीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं किया था। साक्षी के अनुसार उसने वाहन परीक्षण किया था।

27— साक्षी हीरालाल अ.सा.05 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 29.01.2012 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था।

उक्त दिनांक को उसके द्वारा विवेचना उपरांत चालानी कार्यवाही की गई थी। चालानी कार्यवाही उपरान्त उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ बेग को प्रस्तुत की गई थी। उसके उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। उसके द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन प्रपी-05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने अंतिम प्रतिवेदन अपने मन से बगैर किसी आधार के तैयार किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने कोई विवेचना की कार्यवाही नहीं किया है।

28— साक्षी उमेलाल अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 16.12.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर थाना बैहर से जांच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा जांच के दौरान अपराध क्रमांक 149/11 धारा-279, 337 भा.द.सं. के अंतर्गत मोटर सायकिल स्पलेंडर प्लस क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-01 लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 16.12.2011 को मानसिंह की निशानदेही पर मौके पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी-02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर मानसिंह के हस्ताक्षर हैं।

29— साक्षी उमेलाल अ.सा.04 के अनुसार दिनांक 21.12.11 को आरोपी भोजराज से गवाह माखन एवं सुद्धन के समक्ष एक स्पलेंडर प्लस मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड बरतुलाल भवरे के नाम से है, को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी भोजराज के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी भोजराज को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी भोजराज के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा वाहन

क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 का मैकेनिकल परीक्षण दिनांक 24.12.2011 को चालक रमेन्द्र चौहान से करवाया गया था। उसके द्वारा विवेचना के दौरान प्रार्थी बिरनसिंह, गवाह आशीष, रयमतबाई, सुखदेव, महेश, कन्हैया, एवं मानसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था, जिसमें उसने अपने मन से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था। विवेचना के दौरान धारा-338 भा.द.सं. एवं आरोपी भोजराज के पास लायसेंस एवं बीमा न होने से धारा-3/181, 146/196 मोटर यान अधिनियम का ईजाफा किया गया था।

30— साक्षी उमेलाल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि प्रार्थी के द्वारा वाहन को असावधानीपूर्वक एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने के बारे में नहीं बताया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना का लेखन कार्य 15 दिवस के बाद किया गया था। साक्षी के अनुसार अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई थी, उसकी जांच के बाद प्रथम सूचना उसके द्वारा लेख की गयी थी।

31— साक्षी उमेलाल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करते समय विलंब का कारण लेख नहीं किया गया है, उसके द्वारा मौका नक्शा की कार्यवाही थाने में बैठकर की गयी थी, उसने उपरोक्त साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख किये गये हैं, उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करते समय उनके कहे अनुसार कथन लेख नहीं किये गये हैं तथा साक्षीगण के कथन उसने लेखबद्ध नहीं किये थे।

32— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी भोजराज द्वारा चालित वाहन से दुर्घटना हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी भोजराज की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। आहत वीरनसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पास मोटर सायकिल चलाने का लायसेंस नहीं है, आरोपी और उसकी मोटर सायकिल आमने-सामने से टकरा गई थी, वह रांग

साईड में मोटर सायकिल चला रहा था, उसके खिलाफ भी पुलिस ने उक्त घटना पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया था। प्रकरण के अन्य साक्षी कन्हैया अ.सा.07 तथा साक्षी मानसिंह अ.सा.08 ने स्वीकार किया है कि वह आवाज सुनकर घटनास्थल पर गये थे तथा आहत वीरनसिंह घटना के समय वाहन चलाना सीख रहा था। साक्षी महेश कोड़ापे अ.सा.06 ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को घटना के संबंध में बयान नहीं दिया था तथा उक्त घटना में आरोपी भोजराज को भी चोटें आई थी। प्रकरण में आहत बिरनसिंह द्वारा आरोपी से राजीनामा किया जाना दर्शित है।

33— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियों प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक 01.12.11 को समय 06:00 बजे शाम स्थान ग्राम किनारदा मानसिंह गोंड के खेत के पास थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल स्प्लेण्डर प्लस क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-02:-

34— पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय अभियुक्त भोजराज द्वारा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाये जाने के संबंध में विवेचक साक्षी उमेलाल अ.सा.04 ने अखण्डनीय कथन किये हैं और अभियुक्त

भोजराज द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, परंतु उसके द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि घटना के समय उसके पास लायसेंस एवं बीमा था। फलतः यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाया गया।

35— अतः अभियुक्त भोजराज को भा.दं०सं० की धारा-279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

36— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

37— अतः अभियुक्त भोजराज को मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 के अपराध के लिए 500/— (पाच सौ) रुपये तथा धारा-146/196 के अपराध के लिये 1,000/— (एक हजार) रुपये इस प्रकार कुल 1,500/—(एक हजार पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

38— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

39— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर साईकिल स्प्लेण्डर प्लस क्रमांक एम.पी.50एम.सी.8560 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

40— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

41— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही /—

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

जिला बालाघाट (म.प्र.)